

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2019—कार्तिक 3, शक 1941

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2019

क्र. एफ-1(ए)-61-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेन्ज छतरपुर को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 25 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24 नवम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित अंडमान-निकोबार की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के

साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| 1. श्री अनिल माहेश्वरी    | — | स्वयं  |
| 2. श्रीमती नीता माहेश्वरी | — | पत्नी  |
| 3. कु. आकांक्षा माहेश्वरी | — | पुत्री |
| 4. संकल्प माहेश्वरी       | — | पुत्र  |

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे, का चालू कार्य पुलिस अधीक्षक, छतरपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेन्ज छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

7431

(4) श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रीति यादव, अवर सचिव.

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2019

फा. क्र. 1-3-2004-4823-2019-इक्कीस-ब(एक).—मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक 16 सन् 2001) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपतियों की सहमति से, एतद्वारा, निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अधीन मामलों के निपटारे के प्रयोजन के लिए राज्य के प्रत्येक सेशन खंड के सेशन न्यायालय/अतिरिक्त सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करता है। यह अधिसूचना इस संबंध में पूर्व में जारी सभी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है।

F. No. 1-3-2004-4823-2019-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Madhya Pradesh Nikshepakon ke Hiton Ka Sanrakshan Adhiniyam, 2000 (No 16 of 2001), the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, designates Courts of Session Judge/ Additional Sessions Judge in each Session Division of the State as Special Court for the purpose of disposal cases under Madhya Pradesh Nikshepakon Ke Hiton Ka Sanrakshan Adhiniyam.

This Notification is being issued in supersession of all its earlier Notification(s) issued in this regard.

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2019

फा. क्र. 5017-2019-इक्कीस-ब (एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीशों को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2017 के नियम 5(1)(ए) के

अंतर्गत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070, के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है:—

क्र.	नाम एवं पद
(1)	(2)
1.	श्री जय सिंह सराटे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., सीधी.
2.	श्री चन्द्रशेखर जायसवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., दतिया.
3.	श्री हर्ष सिंह बहरावत, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., गुना.
4.	श्री दिनेश देवड़ा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., नरसिंहपुर.
5.	श्री अमजद अली, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., श्योपुर.
6.	श्री उत्तम कुमार दरवी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., बड़वानी.
7.	श्री निरंजन कुमार पांचाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., मण्डला.
8.	श्री संदीप कुमार पाटील, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., होशंगाबाद.
9.	श्री सुबोध कुमार विश्वकर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., रीवा.
10.	श्री विनोद कुमार पाटीदार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., भोपाल.
11.	श्री मातादीन रजक, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., छतरपुर.
12.	श्री शिवलाल केवट, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., सीहोर.
13.	श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., इन्दौर.
14.	श्रीमती उषा तिवारी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., दमोह.
15.	श्री नीरज मालवीय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., नीमच.
16.	श्री राधाकिशन मालवीय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., शिवपुरी.
17.	कु. पदमा जाटव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., राजगढ़.
18.	श्री भूपेन्द्र नकवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., अनूपपुर.
19.	श्री आनंद जाम्भूलकर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., जबलपुर.
20.	श्री महेश कुमार चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., अशोकनगर.

- | (1) | (2)   | (1) | (2)  |
|-----|---|-----|--|
| 21. | श्री विवेक कुमार चन्देल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., अलीराजपुर.        | 44. | श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमारे, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं ए. सी. जे. एम., ग्वालियर.                              |
| 22. | श्री अनिल दंदेलिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., बैतूल.                 | 45. | श्री प्रदीप कुमार वरकड़े, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, छिन्दवाड़ा.  |
| 23. | श्री संतोष चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., मंदसौर.                  | 46. | श्री दीपराज कावड़े, दसवें प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं ए. सी. जे. एम., ग्वालियर.                                |
| 24. | श्री दिनेश कुमार नोटिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., विदिशा.           | 47. | श्री प्रकाश केरकेटा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश, इछावर एवं ए. सी. जे. एम., इच्छावर (सीहोर). |
| 25. | श्रीमती प्रेमा साहू, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., धार.                  | 48. | श्रीमती बरखा दिनकर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं ए. सी. जे. एम., बीजावर (छतरपुर).                               |
| 26. | श्री अजय नील करोठिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., मुरैना.              | 49. | श्रीमती किरण कोल, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं ए.सी. जे. एम., बुढ़ार (शहडोल).                   |
| 27. | श्री गौतम कुमार गुजरे, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., जबलपुर.            | 50. | श्री प्रणयदीप ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं ए.सी. जे. एम., गौहरगंज (रायसेन).                              |
| 28. | श्री अजय पेंडाम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., भिण्ड.                    | 51. | श्री सतीश कुमार टोप्पो, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 जुन्नारदेव (जमई) छिन्दवाड़ा.   |
| 29. | श्री आनंद कुमार सेहलम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., बालाघाट.            | 52. | श्री वैभव सक्सेना, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, होशंगाबाद.  |
| 30. | श्री राकेश कुमार ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., सागर.              | 53. | श्री मनोज तिवारी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, पन्ना.  |
| 31. | श्री प्रेमपाल सिंह ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., उज्जैन.          | 54. | श्री नंदराम परमार, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मुरैना.  |
| 32. | श्री सुधीर सिंह ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., बैढ़न (सिंगरौली).   | 55. | श्री अभिनव कुमार जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, होशंगाबाद.                        |
| 33. | श्रीमती संगीता पटेल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., देवास.                | 56. | श्रीमती रश्मि मिश्रा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, डॉ. अम्बेडकर नगर (इन्दौर).                                     |
| 34. | श्री निर्मल मंडोरिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., टीकमगढ़.             | 57. | श्रीमती पल्लवी द्विवेदी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, डॉ. अम्बेडकर नगर (इन्दौर).                                   |
| 35. | श्री दारासिंह मण्डलोई, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., खरगोन (मण्डलेश्वर). | 58. | श्रीमती प्राची पटेल, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, ग्वालियर.  |
| 36. | श्री नरेश मेहरबान सिंह मीना, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., ग्वालियर.     | 59. | श्री देवेश उपाध्याय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, इटारसी (होशंगाबाद).                 |
| 37. | श्री मानवेन्द्र पवार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., उमरिया.              | 60. | श्री कपिल नारायण भारद्वाज, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, उमरिया.   |
| 38. | श्री संतोष कुमार कोल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., शहडोल.               | 61. | श्री भरत कुमार व्यास, पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, भोपाल.  |
| 39. | श्री अजीत कुमार तिकी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., डिण्डौरी.            |     |  |
| 40. | श्री विजय कुमार सोनकर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., कटनी.               |     |  |
| 41. | श्री अनिल चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं सी. जे. एम., बुरहानपुर.                |     |  |
| 42. | श्री दिलीप सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं ए. सी. जे. एम., रायसेन.                |     |  |
| 43. | श्रीमती सुमन उईके, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं ए. सी. जे. एम., सिवनी.              |     |  |

नोट.—प्रशासनिक समिति (उच्च न्यायिक सेवा) के प्रस्ताव/संकल्प दिनांक 20 सितम्बर 2018 के अनुसार निर्देशित किया गया है कि श्री जय सिंह सराटे का नाम जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) की पदोन्नति हेतु सीलबन्द लिफाफे में रखा गया था, जिसे लंबित विभागीय जांच के संदर्भ में फुल कोर्ट के अनुमोदनार्थ रखा गया है। चूंकि उपरोक्त विभागीय जांच को रद्द किया जा चुका है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री जयसिंह सराटे को अन्य अधिकारियों को दी गई पदोन्नति जो कि दिनांक 20 सितम्बर 2018 के संदर्भ में है, वरिष्ठता की पात्रता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

## औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2019

क्र. एफ-16-34-2019-ए-ग्यारह.—बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स एम. बी. पॉवर (मध्यप्रदेश) लि., जेतेहरी, जिला-अनूपपुर को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/5036को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के प्रवर्तन से दिनांक 22 अक्टूबर 2019 से 21 जनवरी 2020 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:—

- (1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
- (2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
- (3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
- (4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

आदेश दिया जाता है कि इसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2019

क्र. एफ. 01-01-2019-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक में निहित उपबंधों के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, द्वारा जबलपुर जिले की तहसील जबलपुर एवं शाहपुर तहसील से नवीन तहसील बरगी सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान तहसील शहपुरा व तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (4) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

2. "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 30 दिन समाप्त होने पर विचार किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :-

### अनुसूची

क्र.	विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील की सीमाएं	अभियुक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	शहपुरा	वर्तमान तहसील शहपुरा के रा.नि.मं. चरगावां के प.ह.नं. 66, 67, 69 लगायत 81 एवं 85 कुल 16 प.ह.नं. अपवर्जित होंगे.	शहपुरा	वर्तमान तहसील शहपुरा के रा.नि.मं. पिपरिया कलां के प.ह.नं. 01 लगायत 29, रा.नि.मं. शहपुर के कुल प.ह.नं. 30 लगायत 55 एवं रा.नि.मं. चरगावां के कुल प.ह.नं. 56 लगायत 65, 68 एवं 82 लगायत 84 इस प्रकार कुल 69 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.	उत्तर में—तहसील पाटन जिला जबलपुर. पूर्व में—तहसील जबलपुर एवं प्रस्तावित तहसील बरगी जिला जबलपुर. दक्षिण में—तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर एवं तहसील लखनादौन जिला सिवनी. पश्चिम में—तहसील तेंदुखेड़ा एवं नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर.	
2	जबलपुर	तहसील जबलपुर के रा.नि.मं. जबलपुर-2 प.ह.नं. 25 लगायत 30 रा.नि.मं. बरगी के प.ह.नं. 31 लगायत 66 एवं 101 लगायत 103 इस प्रकार कुल 45 प.ह.नं. अपवर्जित होंगे.	जबलपुर	वर्तमान तहसील जबलपुर के रा.नि.मं. खमरिया मुख्यालय बरेला के प.ह.नं. 67 लगायत 100 कुल 33 प.ह.नं. समाविष्ट होंगे.	उत्तर में—तहसील रांझी एवं कुंडम जिला जबलपुर. पूर्व में—तहसील कुंडम जिला जबलपुर. दक्षिण में—तहसील नारायणगंज जिला मण्डला. पश्चिम में—प्रस्तावित तहसील बरगी जिला जबलपुर.	
3			बरगी	वर्तमान तहसील शहपुरा के रा.नि.मं. चरगावां के प.ह.नं. 66, 67, 69 लगायत 81 एवं 85 तथा वर्तमान तहसील जबलपुर के रा.नि.मं. जबलपुर-2 प.ह.नं. 25 लगायत 30 रा.नि.मं. बरगी के प.ह.नं. 31 लगायत 66 एवं 101 लगायत 103 कुल प.ह.नं. 61 अपवर्जित होकर प्रस्तावित तहसील बरगी में समाविष्ट होंगे.	उत्तर में—तहसील शहपुरा एवं गोरखपुर जिला जबलपुर. पूर्व में—तहसील नारायणगंज जिला मण्डला एवं तहसील रांझी जिला जबलपुर. दक्षिण में—तहसील घनसौर, लखनादौन जिला सिवनी. पश्चिम में—तहसील शहपुरा जिला जबलपुर.	

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है ताकि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (श्रम), जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश

डिण्डौरी, दिनांक 27 जून 2019

क्र. 08-2019.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, मैं, बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा धारा 13(3) के अन्तर्गत अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति पुनर्गठन का एतद्द्वारा करता हूँ:—

जिला स्तरीय सतर्कता समिति जिला डिण्डौरी (मध्यप्रदेश)

(A) अध्यक्ष-धारा 13 (2) खण्ड (क) के अनुसार—

(1) अपर जिला दण्डाधिकारी, डिण्डौरी (म. प्र.) — अध्यक्ष

(B) सदस्य-तीन व्यक्ति जो अनु. जाति/अनु.जनजाति के हों एवं जिले में निवास करते हों:—

धारा 13 (2) खण्ड (ख) के अनुसार—

(1) श्री मान सिंह करपेती, ग्राम पो. गाडासरई, जिला डिण्डौरी — सदस्य  
 (2) श्री धरम सिंह मसराम, ग्राम पो. सक्का, जिला डिण्डौरी — सदस्य  
 (3) श्री चैन सिंह तेकाम, ग्राम भालापूरी पो. मारगांव, जिला डिण्डौरी. — सदस्य

(C) सदस्य-दो सामाजिक कार्यकर्ता जो जिले में निवास करते हों:—

धारा 13 (2) खण्ड (ग) के अनुसार—

(1) श्री वीरेन्द्र सोनी, गायत्री मंदिर के पास डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी — सदस्य  
 (2) श्री के. एस. राजपूत, सुब्बार डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी — सदस्य

(D) सदस्य-राज्य शासन द्वारा नामांकित :—

धारा 13 (2) खण्ड (ग) के अनुसार—

(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डौरी — सदस्य  
 (2) पुलिस अधीक्षक, जिला डिण्डौरी — सदस्य  
 (3) सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग जिला डिण्डौरी — सदस्य

(E) सदस्य-वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने हेतु :—

धारा 13 (2) खण्ड (च) के अनुसार—

(1) प्रबंधक सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अझवार, जिला डिण्डौरी — सदस्य

5. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग-डिण्डौरी

धारा 13 (3) खण्ड (क) के अनुसार—

(1) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डिण्डौरी (म. प्र.) — अध्यक्ष

**धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार—**

- |     |  |   |       |
|-----|--|---|-------|
| (1) | श्री भारत सिंह नेटी, ग्राम पो. करंजिया, जिला डिण्डौरी    | — | सदस्य |
| (2) | श्री अशोक कुमार साहु, ग्रा. पो. बजाग, जिला डिण्डौरी      | — | सदस्य |
| (3) | श्री हरिनारायण खैरवार, ग्रा. पो. डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी | — | सदस्य |

**धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार—**

- |     |  |   |       |
|-----|--|---|-------|
| (1) | श्री घनश्याम यादव, ग्रा. अलोनी पो. अमरपुर, जिला डिण्डौरी | — | सदस्य |
|-----|--|---|-------|

**धारा 13 (3) खण्ड (घ) के अनुसार—**

- |     |  |   |       |
|-----|--|---|-------|
| (1) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, डिण्डौरी | — | सदस्य |
| (2) | अध्यक्ष, जनपद पंचायत, डिण्डौरी                 | — | सदस्य |
| (3) | सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत, डिण्डौरी   | — | सदस्य |

**धारा 13 (3) खण्ड (ङ) के अनुसार—**

- |     |   |   |       |
|-----|---|---|-------|
| (1) | प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक मेन रोड डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी | — | सदस्य |
|-----|---|---|-------|

**6. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग शहपुरा****धारा 13 (3) खण्ड (क) के अनुसार—**

- |     |   |   |         |
|-----|---|---|---------|
| (1) | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शहपुरा (म. प्र.) | — | अध्यक्ष |
|-----|---|---|---------|

**धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार—**

- |     |  |   |       |
|-----|--|---|-------|
| (1) | श्रीमती तिरंजना धुर्वे ग्राम पारापानी पोस्ट पारापानी जिला डिण्डौरी | — | सदस्य |
| (2) | श्री गुलाब सिंह भवेदी, ग्राम पोस्ट मेंहदवानी                       | — | सदस्य |
| (3) | श्री जगन्नाथ बनवासी, वार्ड नं. 08 शहपुरा                           | — | सदस्य |

**धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार—**

- |     |   |   |       |
|-----|---|---|-------|
| (1) | श्री गोवर्धन दास तेजवानी, शहपुरा                            | — | सदस्य |
| (2) | कु. कृष्णा उरैती ग्रा. पं. कस्तूरी पिपरिया हाल मुकाम शहपुरा | — | सदस्य |

**धारा 13 (3) खण्ड (घ) के अनुसार—**

- |     |   |   |       |
|-----|---|---|-------|
| (1) | तहसीलदार शहपुरा, जिला डिण्डौरी                    | — | सदस्य |
| (2) | परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग शहपुरा | — | सदस्य |
| (3) | विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मेंहदवानी, जिला डिण्डौरी | — | सदस्य |

**धारा 13 (3) खण्ड (ङ) के अनुसार—**

- |     |   |   |       |
|-----|---|---|-------|
| (1) | प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक, शहपुरा | — | सदस्य |
|-----|---|---|-------|

बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2019

क्र. एफ 49-1-रा.स.-यू.ए.-5-2016.—राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2009 की धारा 27 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी निम्नलिखित विधायकगणों को अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (नौ) के अन्तर्गत राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल में सदस्य मनोनीत करते हैं:—

1. श्री अरविन्द सिंह भदौरिया,  
विधायक,  
वार्ड नं. 19 हाडसिंग बोर्ड कॉलोनी के निकट,  
मीरा कालोनी,  
जेल के पास, जिला भिण्ड.
2. श्री मुन्नालाल गोयल,  
विधायक,  
बारादारी चौराहा,  
मुरार, जिला ग्वालियर.
3. श्री रणवीर जाटव,  
विधायक,  
वार्ड नं. 16, गांधी नगर,  
गोहद, जिला भिण्ड.

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,  
भरत पी. माहेश्वरी, राज्यपाल के विधि अधिकारी.

राजभवन, भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2019

क्र. एफ 12-1-रा.स.-यू.ए.-5-2016.—जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1963 की धारा 25 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी निम्नलिखित विधायकगणों को अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (नौ) के अन्तर्गत राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल में सदस्य मनोनीत करते हैं:—

1. श्री केदारनाथ शुक्ल,  
विधायक,  
कमलकुटी, कोटहा,  
वार्ड नं. 15, सीधी,  
जिला सीधी (म. प्र.).
2. श्री टामलाल रघुजी सहारे,  
विधायक,  
ग्राम नवेगांव पोस्ट तुमसर (छोटा)  
तहसील कटंगी  
जिला बालाघाट.
3. श्री संजय यादव,  
विधायक,  
9, भाग्य गोपाल मंगलम,  
हाथी ताल कालोनी,  
जबलपुर.

कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,  
भरत पी. माहेश्वरी, राज्यपाल के विधि अधिकारी.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 06-अ-82-2017-18

सीहोर, दिनांक 19 सितम्बर 2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में उल्लेखित निजी भूमि घोषरा परियोजना डूब क्षेत्र हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची

ग्राम घुटवानी, तहसील नसरुल्लागंज, जिला

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	शंकरलाल पुत्र श्री सेवाराम केदारसिंह पुत्र शंकरलाल जाति गौड़	60/1	-	1.518	1.518	-	0.263	0.263
2	धम्मालाल पुत्र श्री रामकिशन जाति देशवाली	61/1/1	1.263	-	1.263	-	0.923	0.923
3	प्रेमबाई पिता रामप्रसाद जाति देशवाली	61/2/1	-	1.093	1.093	-	1.093	1.093
	तदेव	63/1	-	0.834	0.834	-	0.834	0.834
	तदेव	62,66/3	-	2.700	2.700	-	0.384	0.384
4	हरिसिंह पुत्र श्री रतनलाल जाति देशवाली	62,66/1/3	0.405	-	.405	0.020	-	0.020
	तदेव	62,66/2/1	1.291	-	1.291	0.210	-	0.210
5	भगवतसिंह माता प्रेमबाई पिता सीताराम जाति देशवाली	62,66/2/2	-	0.732	0.732	-	0.396	0.396
6	रतनलाल आठ रामकिशन जाति देशवाली	65/1/1	-	0.830	0.830	-	0.531	0.531
योग			2.959	7.707	10.666	0.230	4.424	4.654

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

(2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू-अर्जन) सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा। किराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा।

3. चूंकि सिंचाई परियोजना की डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है। जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने धारा 19 की उप धारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) समुचित सरकार की वेबसाईड [www.sehore.nic.in](http://www.sehore.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

(4) घोषरा सिंचाई परियोजना की बचगांव, सरसोदिया उप नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है। अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है।

प्र. क्र. 08-अ-82-2017-18

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में घोघरा मध्यम परियोजना की बचगांव सरसोदिया उप नहर निर्माण हेतु तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर के लिये आवश्यक वर्णित निजी भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2)में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(कं. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम-बचगांव तहसील-नसरुल्लागंज				
स.क.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	निजी भूमि घोघरा परियोजना के बचगांव सरसोदिया की उप नहर हेतु	1.386	1.288	2.674
	योग	1.386	1.288	2.674

अनुसूची (2)

गोपालपुर वितरिका की बचगांव सरसोदिया उपनहर

स.क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	लक्ष्मण आ० जगन्नाथ जाति खाती	17/1/2/1/1/2	0.866	-	0.866	0.089	-	0.089
2	मनोहर आ० जगन्नाथ जाति खाती	17/1/2/2/2/3/2	-	1.315	1.315	-	0.036	0.036
3	मनुबाई पत्नि मांगीलाल जाति खाती	17/1/2/2/2/4/1	-	0.820	0.820	-	0.060	0.060
4	ईश्वर सिंह आ० बद्रीलाल जाति खाती	17/1/2/2/2/4/2	0.812	-	0.812	0.065	-	0.065
	तदैव	17/1/2/2/2/5	0.397	-	0.397	0.044	-	0.044
	तदैव	17/1/3/2/2/1	0.397	-	0.397	0.016	-	0.016
5	पुष्पाबाई पत्नि ईश्वरसिंह जाति खाती	17/1/3/2/1	-	1.234	1.234	-	0.044	0.044
6	कौशल्या बाई पत्नि रामनारायण जाति खाती	17/1/3/2/2/2	1.238	-	1.238	0.060	-	0.060

7	रामनारायण आ०बद्रीलाल जाति खाती	17/1/3/2/3	-	1.635	1.635	-	0.073	0.073
	तदेव	17/1/3/2/4	-	0.829	0.829	-	0.053	0.053
8	रमेशपुत्र रामअवतार जाति जाट	17/1/1/1	4.047	-	4.047	0.263	-	0.263
9	जगदीशपुत्र रामअवतार जाति जाट	17/1/1/2	4.047	-	4.047	0.146	-	0.146
10	बलरामपुत्र रामअवतार जाति जाट	17/1/1/3	4.047	-	4.047	0.154	-	0.154
11	इन्द्रा बेबा रामअवतार जाति जाट	17/1/1/4	-	4.047	4.047	-	0.194	0.194
12	लखनलाल पुत्र श्रीराम जाति कलोता	17/3/ ग	0.773	-	0.773	0.020	-	0.020
13	हरिओम आ० सीताराम जाति खाती	17/3/4	1.619	-	1.619	0.056	-	0.056
14	सीताराम आ० झब्बू जाति कलोता	17/3/1/2	1.498	-	1.498	0.073	-	0.073
15	हरिशंकर आ० सीताराम जाति कलोता	17/3/1/1	-	1.619	1.619	-	0.081	0.081
16	महेश आ० सुन्दरलाल जाति कलोता	17/4/2/ ख	-	1.214	1.214	-	0.101	0.101
17	सुरेश आ० सुन्दरलाल जाति कलोता	17/4/2/ ग	-	1.214	1.214	-	0.040	0.040
18	मणीबाई पत्नि बाबूलाल जाति जाट	138,139,140/1/1	-	0.454	0.454	-	0.081	0.081
	तदेव	138,139,140/2/1	-	1.343	1.343	-	0.162	0.162
19	हेमराज आ० हिन्दूजी जाति जाट	138,139,140/1/2/ 2	-	0.713	0.713	-	0.060	0.060
20	रामलाल आ० हिन्दूजी जाति जाट	138,139,140/2/2	3.597	-	3.597	0.231	-	0.231
21	धापूबाई पत्नि शंकरलाल जाति बढई	146/1/2/ ख	2.023	-	2.023	-	0.142	0.142
22	राधेश्याम आ० रामप्रसाद जाति खाती	146/1/1/3	-	0.236	0.236	-	0.016	0.016
23	अनुराधा पत्नि राधेश्याम जाति खाती	146/2/3/1/1/1	0.210	-	0.210	0.056	-	0.056
	तदेव	146/1/1/2	1.517	-	1.517	0.060	-	0.060
	तदेव	146/1/1/1	1.517	-	1.517	0.053	-	0.053
24	दीपक आ० श्यामलाल जाति बढई	146/2/3/2/1	-	1.011	1.011	-	0.145	0.145
	योग		28.605	17.684	46.289	1.386	1.288	2.674

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

(2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाही के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू०अर्जन) सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

(3) चूंकि सिंचाई परियोजना में बचगांव सरसोदिया की उपनहर हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है। जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उप धारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट [www.sehore.nic.in](http://www.sehore.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. भू-अर्जन-2019-122-123

शाजापुर, दिनांक 29 सितम्बर 2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा - 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा-11 की उपधारा-1 के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रायोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/ भू अर्जन अधिकारी अनुविभाग शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा।

अनुसूची (01)

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5	6
शाजापुर	शाजापुर	झोंकर	निजी भूमि 1.507 हे.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग शाजापुर	बडियासोन रेल्वे गेट से पलसावद, लालूपुरा, हनोती, झोंकर, जलालपुरा (ए.बी.रोड़) तक मार्ग निर्माण में आ रही ग्राम झोंकर की अशासकीय भूमि का अधिग्रहण करने के संबंध में।

## अनुसूची (01)

(1) बर्हियासोन रेल्वे गेट से पलसावद, लालपुरा, हनोती, झोकर, जलालपुरा ए.बी.रोड तक मार्ग निर्माण में आ रही ग्राम झोकर की अशासकीय भूमि का अधिग्रहण हेतु।

स. क्र.	कृषक का नाम पिता/पति का नाम	सर्वे क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुज्जूखां उर्फ नसीरखां, बसीरखां, वकीलखां, नजीरखां, परोंबी, नफीसाबी, कनीजाबी पिता मोहम्मद नकी व सईदनबी विधवा मोहम्मद नकी जाति मुसलमान नि.ग्राम	998मिन-5, 999,1000, 1001,1002,1003,1004, 1005	0.510	0.000	0.510	0.021	0.000	0.021
2	सलीमखां पिता हनीफखां जाति मुसलमान नि.ग्राम	1006, 1007, 1010	1.118	0.000	1.118	0.381	0.000	0.381
3	अब्दुल गफुर पिता अदुल सलाम भाग 1/8 पै., हनीफखां, हसीनखां पुत्रगण लतीफखां आबीदाबी पिता लतीफखां, सुलतानाबी पिता लतीफखां भाग 1/8 पै., रहमतउल्ला पिता अब्दुल सलाम भाग 1/8 पै. अब्दुल नसीर पिता हसनखां जाति मुसलमान नि.ग्राम	847/1 शा.नं. 850	0.136	0.000	0.136	0.091	0.000	0.091
4	अब्दुल गफुर पिता अदुल सलाम भाग 1/8 पै., हनीफखां, हसीनखां पुत्रगण लतीफखां आबीदाबी पिता लतीफखां, सुलतानाबी पिता लतीफखां भाग 1/8 पै., रहमतउल्ला पिता अब्दुल सलाम भाग 1/8 पै. अब्दुल नसीर पिता हसनखां जाति मुसलमान नि.ग्राम	847/2 शा.नं. 850	0.763	0.000	0.763	0.010	0.000	0.010
5	संतोष पिता जगदीशचंद्र जाति कुल्मी नि.ग्राम	846 मिन-1	0.073	0.000	0.073	0.021	0.000	0.021
6	मानसिंह, बाबूलाल पुत्रगण घासीराम जाति कुल्मी नि.ग्राम	1059/2	0.010	0.000	0.010	0.010	0.000	0.010
7	मानसिंह, बाबूलाल पुत्रगण घासीराम जाति कुल्मी नि.ग्राम	1062	0.261	0.000	0.261	0.021	0.000	0.021
8	मानसिंह, बाबूलाल पुत्रगण घासीराम जाति कुल्मी नि.ग्राम	1070/1	0.188	0.000	0.188	0.031	0.000	0.031
9	मेरूसिंह, देवनरायण, कलाबाई पिता भीलूसिंह व सुरजबाई विधवा भीलूसिंह, बल्देवसिंह, आत्माराम, रामेश्वर पिता गंगाराम जाति कुल्मी नि.ग्राम	696/5	0.418	0.000	0.418	0.105	0.000	0.105
10	अंबाराम पिता पूरणमल जाति कुल्मी नि.ग्राम	696/7	1.384	0.000	1.384	0.021	0.000	0.021
11	राधेश्याम पिता नारायणसिंह जाति कुल्मी नि.ग्राम	693/2/1	0.131	0.000	0.131	0.021	0.000	0.021
12	जगदीश पिता नारायणसिंह जाति कुल्मी नि.ग्राम	693/2/2	0.130	0.000	0.130	0.021	0.000	0.021
13	मांगीलाल, राजमल पुत्रगण जयरामसिंह जाति कुल्मी नि.ग्राम भूमिस्वामी	693/6 शा.नं. 708/2 0.841	0.982	0.000	0.982	0.021	0.000	0.021
14	अशोक व पवन पिता महेशकुमार जाति कुल्मी नि.ग्राम	693/4 शा.नं. 694 0.748	1.045	0.000	1.045	0.021	0.000	0.021
15	सुनिलकुमार पिता सुभाषचंद्र जाति कुल्मी नि.ग्राम	693/6 मिन-2 शा.नं. 710 मिन	0.700	0.000	0.700	0.021	0.000	0.021
16	पवनकुमार पिता मोहनलाल व द्रोपतीबाई विधवा मोहनलाल जाति कुल्मी नि.ग्राम	693/7	0.010	0.000	0.010	0.010	0.000	0.010

स. कं.	कृषक का नाम पिता/पति का नाम	सर्वे क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	लक्ष्मीनारायण व धनसिंह पिता नारायणसिंह समभाग जाति कुल्मी नि.ग्राम	693/8	0.141	0.000	0.141	0.021	0.000	0.021
18	जालमसिंह पिता प्रतापसिंह जाति कुल्मी नि. ग्राम	693/9	0.031	0.000	0.031	0.031	0.000	0.031
19	अशोक व पवन पिता महेशकुमार जाति कुल्मी नि.ग्राम	693/10/मिन -1 शा.नं. 704	0.246	0.000	0.246	0.021	0.000	0.021
20	सुनिलकुमार पिता सुभाषचंद्र जाति कुल्मी नि. ग्राम	693/10/मिन -2 शा.नं. 704,705	0.496	0.000	0.496	0.021	0.000	0.021
21	मोहनसिंह पितानारायणसिंह जाति कुल्मी नि. ग्राम	693/14 शा.नं. 711 रकबा0.857	0.899	0.000	0.899	0.042	0.000	0.042
22	अकरमखां, असरफखां, अफसरखां, अययूबखां, असगरखां पुत्रगण नवाबखां व जोहराबी विधवा नवाबखां, आशियाबी, अरजबी पिता नवाबखां जाति मुसलमान नि.ग्राम	1009/2	0.000	0.053	0.053	0.000	0.021	0.021
23	सलीम, मुन्ना, शम्मुखां पिता मोहम्मद हनीफखां, जुबेदाबी पिता व भूरीबाई पिता मोहम्मद हनीफखां जाति मुसलमान नि.ग्राम	1013/1	0.000	0.044	0.044	0.000	0.020	0.020
24	मुज्जूखां उर्फ नसीरखां, बसीरखां, वकीलखां, नजीरखां, पराबी, नफीसाबी, कनीजाबी पिता मोहम्मद नकी व सईदनबी विधवा मोहम्मद नकी जाति मुसलमान नि.ग्राम	1013/2	0.000	0.079	0.079	0.000	0.038	0.038
25	असलम, रईस, अनीस पुत्रगण भूरेखां व जेबुननिशा, समसूननिशा, नूरजहां पुत्रियों भूरेखां जाति मुसलमान नि.ग्राम	1013/3	0.000	0.138	0.138	0.000	0.038	0.038
26	अकरमखां, असरफखां, अफसरखां, अययूबखां, असगरखां पुत्रगण नवाबखां व जोहराबी विधवा नवाबखां, आशियाबी, अरजबी पिता नवाबखां जाति मुसलमान नि.ग्राम	1029/1	0.000	0.111	0.111	0.000	0.038	0.038
27	सलीम, मुन्ना, शम्मुखां पिता मोहम्मद हनीफखां व नजमाबी विधवा मेहबूबखां जाति मुसलमान नि.ग्राम	1029/3	0.000	0.018	0.018	0.000	0.018	0.018
28	जाकिरखां, शाकिरखां पुत्रगण मेहबूबखां व नजमाबी विधवा मेहबूबखां जाति मुसलमान नि. ग्राम	1029/मिन-1	0.000	0.028	0.028	0.000	0.028	0.028
29	दाउदखां, युसूफखां, अजीजखां, सनोबरखां, चांदखां, आबिदखां पुत्रगण याकूबखां जाति मुसलमान नि.ग्राम	1029/मिन-2	0.000	0.014	0.014	0.000	0.014	0.014
30	कालेखां पिता शरीफखां जाति मुसलमान नि. ग्राम	1029/मिन-3	0.000	0.014	0.014	0.000	0.014	0.014
31	शहजादखां, रफीखां, पप्पूखां, रउफखां पुत्रगण शफीखां व राजोबी बेवा शफीखां जाति मुसलमान नि.ग्राम	1029/मिन-4	0.000	0.013	0.013	0.000	0.013	0.013

सं. क्र.	कृषक का नाम पिता/पति का नाम	सर्वे क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अजित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	अकरमखां, असरफखां, अफसरखां, अययूबखां, असगरखां पुत्रगण नवाबखां व जोहराबी विधवा नवाबखां, आशियाबी, अरजबी पिता नवाबखां जाति मुसलमान नि.ग्राम	1030/1	0.000	0.010	0.010	0.000	0.010	0.010
33	मानसिंह, बाबूलाल पुत्रगण घासीराम जाति कुल्मी नि.ग्राम	1071/3	0.000	0.073	0.073	0.000	0.010	0.010
34	नरेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार, प्रकाशचंद्र पिता राधारमण व कुसुमबाई पिता राधारमण व सुधांशु, हिमांशु पिता सतीषचंद्र व कनकलताबाई विधवा सतीषचंद्र जाति ब्राह्मण नि.ग्राम	1090	0.000	0.084	0.084	0.000	0.084	0.084
35	होकमसिंह व मनीष पुत्रगण दोलतराम जाति कुल्मी नि.ग्राम	835/2	0.000	0.0125	0.125	0.000	0.125	0.125
36	राधारमण द.पु. कन्हैयालाल व रामगोपाल, लक्ष्मीनारायण पुत्रगण हरिभाऊ नि.ग्राम	835/3	0.000	0.064	0.064	0.000	0.052	0.052
37	गोविन्द पिता भैरूसिंह व मायाबाई पिता भैरूसिंह व पारवतीबाई विधवा भैरूसिंह जाति कुल्मी नि.ग्राम	693/3	0.000	0.094	0.094	0.000	0.021	0.021
<b>कुल योग :-</b>			<b>9.672</b>	<b>0.962</b>	<b>10.634</b>	<b>0.963</b>	<b>0.544</b>	<b>1.507</b>

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाजापुर/भू अर्जन अधिकारी अनुविभाग शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वीरेन्द्रसिंह रावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

क्र. 4694-95

राजगढ़ (ब्यावरा), दिनांक 7 अक्टूबर 2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मूण्डला तालाब सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम गोपालपुरा, खाण्डियापुरा, लीलबेह, मगरियादेह, मूण्डला, पडिया एवं सुल्तानपुरा के लिए डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची में वर्णित सर्वे नम्बर में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :—

मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम गोपालपुरा

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	राजेन्द्रसिंह पिता गुमानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	79/2 78/2	0.139 0.183	0.030 0.025
	योग	2	0.322	0.055
2	महेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	78/1	0.184	0.125
	योग	1	0.184	0.125
3	नन्दनसिंह, देवराजसिंह पिता रामनाथसिंह, लाडकुंवर विधवा रामनाथसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	28/4/3	0.173	0.173
	योग	1	0.173	0.173
4	छगनसिंह पिता विक्रमसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू. स्वामी (केवल मुर्गी फार्म का मुआवजा शेष है।)	27/1/1	0.000	0.000 सम्पत्ति अर्जन मुर्गी फार्म हेतु
	योग	1	0.000	0.000
5	रमेश पिता किशन जाति अ.जा. नि.ग्रा.भू.स्वामी	71/4	0.253	0.100
	योग	1	0.253	0.100
6	विष्णु पिता बंशी जाति अ.जा. नि.ग्रा.भू.स्वामी	71/5	0.253	0.100
	योग	1	0.253	0.100
	ग्राम गोपालपुरा कुलयोग :-	7	1.185	0.553

मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम खाण्डियापुरा

1	सुनीताबाई पत्नि कमलसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	9/2	0.379	0.379
	योग	1	0.379	0.379
2	रोड़जी पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	188/1 10/1/1	0.089 0.290	0.025 0.290
	योग	2	0.379	0.315



स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्व नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
3	भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह, भंवरीबाई बेवा प्रेमसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	188/2	0.088	0.025
	योग	1	0.088	0.025
4	भंवरलाल, देवबाई, गंगाबाई, बदनबाई पिता गोपीलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	187	0.164	0.147
	योग	1	0.164	0.147
5	धीरपसिंह पिता करणसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	186/253/1 208/1 13/4	0.098 0.253 0.581	0.039 0.253 0.055
	योग	3	0.932	0.347
6	बनेसिंह पिता करणसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	186/253/2 208/2	0.098 0.253	0.039 0.253
	योग	2	0.351	0.292
7	बनेसिंह पिता भंवरजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	186/261/1 186/1/1	0.017 0.151	0.006 0.055
	योग	2	0.168	0.061
8	प्रेमबाई बेवा हिम्मतसिंह, सुनील ना.बा.पिता हिम्मतसिंह स. प.माता प्रेमबाई बेवा हिम्मतसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	186/261/2	0.017	0.006
	योग	1	0.017	0.006
9	भारतसिंह पिता भंवरजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	186/261/3 186/3/1	0.017 0.152	0.006 0.056
	योग	2	0.169	0.062
10	बापूलाल पिता भंवरलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	177/1 11/3/1	0.791 0.271	0.474 0.271
	योग	2	1.062	0.745
11	देवसिंह पिता भंवरलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	177/2 11/4/1 12/4/1	0.790 0.255 0.015	0.474 0.255 0.015
	योग	3	1.060	0.744
12	अनारसिंह पिता भंवरलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	178	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.038
13	शैतानबाई, कान्ताबाई पिता भंवरलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	176	0.025	0.025
	योग	1	0.025	0.025
14	केशरबाई बेवा करनसिंह, हरिसिंह, इन्द्रसिंह, धीरपसिंह, बनेसिंह पिता करनसिंह, बादामबाई पिता करनसिंह जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	172	0.063	0.063
	योग	1	0.063	0.063

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
15	कंवरलाल, बनेसिंह, धीरपसिंह पिता भंवरजी, केशरबाई बेवा भंवरजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	156/1 155/1 153	0.013 0.017 0.051	0.007 0.017 0.025
	योग	3	0.081	0.049
16	बापूलाल पिता देवजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	156/2 155/2	0.012 0.017	0.006 0.017
	योग	2	0.029	0.023
17	रामसिंह पिता देवजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	156/3 155/3	0.013 0.017	0.007 0.017
	योग	2	0.030	0.024
18	कुमेरसिंह पिता माधू जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	154 152	0.013 0.013	0.013 0.007
	योग	2	0.026	0.020
19	हीरालाल पिता रायसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	145/1 146/1	0.012 0.082	0.012 0.082
	योग	2	0.094	0.094
20	नारायणसिंह पिता रायसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	145/2 146/2	0.013 0.082	0.013 0.082
	योग	2	0.095	0.095
21	हीरालाल पिता नारायणसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	144	0.051	0.035
	योग	1	0.051	0.035
22	मोतीलाल, धूलीबाई, नोरंगबाई पिता गोपीलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	147 226	0.051 0.013	0.051 0.013
	योग	2	0.064	0.064
23	बीरमसिंह, धीरपसिंह, रतनबाई, अनोरखबाई, अमीरबाई, कमलाबाई, ललताबाई पिता मावसिंह केसरबाई बेवा मावसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	148 150 225 227 228	0.063 0.089 0.013 0.013 0.025	0.063 0.045 0.013 0.013 0.025
	योग	5	0.203	0.159
24	लाङ्कुवर पिता गोरीलाल, कंचनबाई पति गोरीलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	149	0.076	0.076
	योग	1	0.076	0.076
25	गीताबाई बेवा गंगाराम, मांगीबाई, रिकूबाई, एलकार पिता गंगाराम जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	242/1 241	0.026 0.038	0.013 0.038
	योग	2	0.064	0.051

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
26	किशनलाल पिता शिवसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	242/2 232/2	0.025 0.169	0.013 0.008
	योग	2	0.194	0.021
27	शिवसिंह पिता भंवरलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	240 239	0.025 0.076	0.025 0.076
	योग	2	0.101	0.101
28	गंगाराम, मोहनलाल पिता बागजी हि.1/2 रोड़जी, डूंगसिंह, बापूलाल, सुन्दरबाई पिता धूलजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	223 224 215 214 213 219 220 210 209 217	0.076 0.025 0.190 0.038 0.164 0.342 0.987 0.987 1.555 0.013	0.076 0.025 0.171 0.038 0.082 0.051 0.320 0.050 0.777 0.013
	योग	10	4.377	1.603
29	मोतीलाल, भूलीबाई, नोरंगबाई पिता गोपीलाल हि. 16 पे. भावसिंह पिता बलदेवसिंह हि. 52 पे. शिवसिंह पिता भंवरजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	230	0.051	0.051
	योग	1	0.051	0.051
30	इन्दरसिंह पिता करणसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	208/3 13/3	0.253 0.581	0.253 0.055
	योग	2	0.834	0.308
31	हरिसिंह पिता करणसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	208/4 13/2/1	0.759 0.090	0.500 0.054
	योग	2	0.849	0.554
32	सूरजसिंह पिता अनारसिंह जाति सौधिया नि.ग्रा.भू. स्वामी	11/1/1	0.093	0.093
	योग	1	0.093	0.093
33	अमृतसिंह पिता अनारसिंह जाति सौधिया नि.ग्रा.भू. स्वामी	11/2/1	0.093	0.093
	योग	1	0.093	0.093
34	हरिसिंह, धीरपसिंह, दन्दरसिंह, बनेसिंह पिता करणसिंह जाति सौधिया नि.ग्रा.भू.स्वामी	13/1	0.013	0.013
	योग	1	0.013	0.013
35	प्रेमबाई बेवा हिम्मतसिंह, सुनील ना0बा0 पिता हिम्मतसिंह सोपरो माता प्रेमबाई जाति सौधिया नि.ग्रा.भू.स्वामी	186/2/1	0.151	0.055
	योग	1	0.151	0.055

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
36	गजराजसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	245/1	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.038
37	कमलसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	232/3	0.169	0.008
	योग	1	0.169	0.008
ग्राम खाण्डियापुरा कुलयोग :-		72	12.671	6.877
<b>मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम लीलबेह</b>				
1	शिवलाल पिता ईशर जी जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	25 13/2/1/4	0.569 0.054	0.382 0.013
	योग	2	0.623	0.395
2	सम्पतबाई पिता रामलाल जाति रुहेला नि.ग्राम भू-स्वामी	28/1/1	0.083	0.083
	योग	1	0.083	0.083
3	सम्पतबाई पत्नि करणसिंह जाति रुवाला नि.ग्राम खरना	28/2/1	2.114	0.200
	योग	1	2.114	0.200
4	मांगीलाल पिता करणसिंह जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	28/3/1	3.234	0.234
	योग	1	3.234	0.234
5	लक्ष्मीनारायण पिता रामलाल जाति भोई नि.ग्राम भू-स्वामी (केवल मकान का मुआवजा शेष है।)	43/2	0.000	0.000 केवल मकान के अर्जन हेतु
	योग	1	0.000	0.000
6	हीरालाल पिता गोपीलाल	33	0.607	0.013
	योग	1	0.607	0.013
7	विजयसिंह पिता भारतसिंह तेजसिंह, हनुमंतसिंह पिता लालसिंह सावतसिंह पिता चैनसिंह जाति गुर्जर नि. ग्राम मगरियादेह भू-स्वामी	51/11/1	2.306	0.213
	योग	1	2.306	0.213
ग्राम लीलबेह कुलयोग :-		8	8.967	1.138
<b>मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम मगरियादेह</b>				
1	चैनसिंह पिता प्यारजी जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	6/140	0.316	0.158
	योग	1	0.316	0.158
2	मोडसिंह पिता रामकिशन जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	6/4/7	0.804	0.804
	योग	1	0.804	0.804
3	मांगीलाल पिता रामकिशन जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	6/2/1	0.607	0.607
	योग	1	0.607	0.607

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
4	भारतसिंह, लालसिंह, चैनसिंह, रामचन्द्रर पिता प्यारजी जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	91/1 15	0.620 0.354	0.620 0.354
	योग	2	0.974	0.974
5	देवीसिंह, लाखनसिंह, लक्ष्मीनारायण, गीताबाई, मांगीबाई, रामकलाबाई पिता भागमल, भूलीबाई विधवा भागमल जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	6/7	2.529	0.530
	योग	1	2.529	0.530
6	लक्ष्मीनारायण पिता भागमल जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	127/4/1/1	1.003	0.360
	योग	1	1.003	0.360
7	लाखनसिंह पिता भागमल जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	127/4/2/1	1.416	0.275
	योग	1	1.416	0.275
ग्राम मगरियादेह कुलयोग :-		8	7.649	3.708
<b>मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम मूण्डला</b>				
1	बालू, रामप्रसाद, रामचरण पिता जगन्नाथ जाति बेड़िया नि.ग्राम भू-स्वामी	291/4/2/1	1.630	0.950
	योग	1	1.630	0.950
2	प्रेमसिंह, शिवनारायण माता भंवरीबाई जाति बेड़िया नि.ग्राम भू-स्वामी	291/4/3/1	1.642	0.974
	योग	1	1.642	0.974
3	हजारीलाल पिता धूलजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	291/4/5/1/1/1	0.589	0.193
	योग	1	0.589	0.193
4	रतन पिता धूलजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	291/4/5/2/1	0.493	0.193
	योग	1	0.493	0.193
5	नारायण पिता धूलजी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	291/4/5/3/1	0.620	0.193
	योग	1	0.620	0.193
6	हेमराज पिता नारायण जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	291/18/1/1	0.922	0.200
	योग	1	0.922	0.200
7	बंशी पिता नाथू जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	309/17	0.204	0.204
	योग	1	0.204	0.204
8	मदनलाल पिता शंकर, रोड़ीबाई पति मदन, सौरमबाई पति कन्हैयालाल, ज्योति, संगीता ना.बा.पिता कन्हैयालाल भूमि स्वामी	309/13/1	1.600	0.750
	योग	1	1.600	0.750
ग्राम मूण्डला महायोग :-		8	7.700	3.657

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
<b>मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम पड़िया</b>				
1	विक्रमसिंह, बलरामसिंह पिता सरदारसिंह, टम्मका कुंवर बेवा कल्याणसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	12/3 11/3	0.155 0.050	0.078 0.025
	<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>0.205</b>	<b>0.103</b>
2(1)	मोगजी पिता खीमा जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/406/1/1	0.037	0.027
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.037</b>	<b>0.027</b>
2(2)	कवरलाल पिता मोगजी जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	26/1/1/2/1	0.193	0.193
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.193</b>	<b>0.193</b>
2(3)	धीसालाल पिता मोगजी जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	26/1/1/3	0.259	0.259
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.259</b>	<b>0.259</b>
3	चेनसिंह पिता खीमाजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/406/1/2	0.037	0.027
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.037</b>	<b>0.027</b>
4	भीमसिंह पिता खीमाजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/406/1/3 26/1/3/1	0.037 0.452	0.027 0.128
	<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>0.489</b>	<b>0.155</b>
5	सूरजसिंह पिता नारायणसिंह, केदारबाई बेवा नारायणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/406/2/1	0.009	0.009
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.009</b>	<b>0.009</b>
6	हरिसिंह पिता केशरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/406/2/2	0.009	0.007
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.009</b>	<b>0.007</b>
7	बनेसिंह पिता केशरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/406/2/3	0.011	0.008
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.011</b>	<b>0.008</b>
8	प्रहलादसिंह पिता पर्वतसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	11/1	0.203	0.030
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.203</b>	<b>0.030</b>
9	जगन्नाथसिंह पिता देवीसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	11/2	0.051	0.025
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.051</b>	<b>0.025</b>
10	भारतसिंह पिता चेनसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	26/1/2/1/1	0.225	0.225
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.225</b>	<b>0.225</b>

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
11	सरजनसिंह पिता चैनसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	26/1/2/1/2	0.225	0.225
	योग	1	0.225	0.225
12	मेवाबाई, भंवरीबाई पुत्रिया बाबरू जाति कोली नि.ग्राम भू-स्वामी	236/1	0.021	0.021
		190	0.013	0.013
	योग	2	0.034	0.034
13	हजारी पिता जसाजी जाति चमार	188/1	0.285	0.285
	योग	1	0.285	0.285
14(1)	बीरम पिता लालजी मु. बसन्तीबाई बेवा लालजी जाति कोली नि.ग्राम भू-स्वामी	236/2	0.021	0.021
	योग	1	0.021	0.021
14(2)	बीरम पिता घीसालाल जाति कोली निवासी ग्राम भूमि स्वामी	188/2	0.275	0.275
	योग	1	0.275	0.275
15	मिश्रीलाल पिता हरदेव जाति कोली नि.ग्राम भू-स्वामी	236/3	0.021	0.021
		188/3	0.275	0.275
	योग	2	0.296	0.296
16	रतनलाल पिता बापूलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	237/1	0.019	0.019
		237/2	0.019	0.019
	योग	2	0.038	0.038
17	भगवानसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	29/1/2	0.504	0.504
	योग	1	0.504	0.504
	ग्राम पड़िया कुलयोग :-	25	3.406	2.746

मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम सुल्तानपुरा

1	बनेसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	181/2/1	0.350	0.350
	योग	1	0.350	0.350
2	बंशीलाल पिता गोपीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	181/4/1	0.330	0.330
	योग	1	0.330	0.330
3	हरिसिंह, प्यारजी, दरियावसिंह, मांगीलाल पिता गंगाराम सौंधिया नि.ग्रा.भू.स्वामी	181/1/1/1	0.295	0.295
	योग	1	0.295	0.295

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
4	लालजी, रतनलाल, भूलीबाई, गंगाबाई पिता मोतीलाल, प्रेमनारायण, रमेश, चतरबाई, कंचनबाई, अजबबाई पिता प्यारजी, अन्तरबाई विधवा प्यारजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	295	0.025	0.025
	योग	1	0.025	0.025
5	प्रभू पिता लक्ष्मण जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	176	0.708	0.708
		180	0.291	0.291
	योग	2	0.999	0.999
6	अमरसिंह पिता भीमा जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	181/5/1	0.406	0.160
	योग	1	0.406	0.160
	ग्राम सुल्तानपुरा कुल योग :-	7	2.405	2.159
	महायोग :-	135	43.983	20.838

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 06-अ-82-18-19-4696-97

अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम लक्ष्मीपुरा के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची (1)

ग्राम - लक्ष्मीपुरा		तहसील - जीरापुर	जिला राजगढ़
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर	
		कुल रकबा	
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बंध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	9.387	8.099
	योग	9.387	8.099



## अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बौध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	भूमि का अर्जित रकबा
1	2	3	4	7
1	भगवानसिंह पिता बलदेवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/7/2/1	0.101	0.101
	योग		0.101	0.101
2	कालू पिता बलदेवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/12/1/1/1	1.304	1.304
		5/2/02	0.205	0.205
	योग		1.509	1.509
3	लक्ष्मीनारायण पिता भगवानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/12/1/1/2	1.303	1.303
		30/5/1	0.224	0.224
	योग		1.527	1.527
4	सिद्धु पिता माधु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/12/3/1	1.300	1.300
	योग		1.300	1.300
5	हरलाल पिता माधु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	5/3/02	0.205	0.205
	योग		0.205	0.205
6	धनसिंह पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30/1/1	0.272	0.272
	योग		0.272	0.272
7	करण पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/1/2	2.000	0.845
		30/1/2	0.272	0.272
	योग		2.272	1.117
8	नटवरसिंह संगीताबाई पिता तोलाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30/12/2	0.248	0.115
		25/12	0.038	0.038
	योग		0.286	0.153
9	जयनारायण पिता भगवानसिंह अयोध्याबाई पति भगवानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30/5/4/1	0.037	0.037
	योग		0.037	0.037

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	भूमि का अर्जित रकबा
1	2	3	4	7
10	करणसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/14/3/1	0.048	0.048
	योग		0.048	0.048
11	प्रभु पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/14/3/2	0.047	0.047
	योग		0.047	0.047
12	मेहरवान पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/14/3/3	0.048	0.048
	योग		0.048	0.048
13	विक्रम पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/14/3/4	0.047	0.047
	योग		0.047	0.047
14	काशीराम पिता भंवरजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	23/1/2/4	0.420	0.420
	योग		0.420	0.420
15	जीवन ना.बा.पिता रामदयाल संतोष ना.बा. पिता रामदयाल आ.पा. कर्ता माता प्रेमबाई बैवा रामदयाल शंकरलाल पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30/8/2	0.325	0.325
		19/2/2	0.109	0.109
		24/2/3	0.145	0.145
	योग		0.579	0.579
16	भैरूलाल पिता लूना जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	23/3/3	0.088	0.088
		24/2/4	0.144	0.144
		23/6/2	0.032	0.032
		30/8/3	0.325	0.325
		23/4/2	0.100	0.100
	योग		0.689	0.689
	कुल योग:-		9.387	8.099

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**राजस्व विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2019

**मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 और अन्य अधिनियमों आदि के अधीन राजस्व मामलों के पंजीयन के अतिरिक्त नवीन शीर्ष**

क्र. एफ 2-8-2019-सात-शा.-7.—राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड दो क्रमांक-1 की कंडिका 1 के परिशिष्ट-1 में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 और अन्य अधिनियमों के अधीन राजस्व मामलों के पंजीयन का श्रेणी विभाजन दिया गया है जिसके अनुसार राजस्व संबंधी विविध मामलों का पंजीयन बी-121 में किया जाता है. 01 अक्टूबर 2016 से आर.सी.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से राजस्व प्रकरणों का पंजीयन एवं निराकरण किया जा रहा है जिसमें ऐसे राजस्व संबंधी मामले जिसके लिये कोई निश्चित शीर्ष निर्धारित नहीं है, उन सभी का पंजीयन बी-121 शीर्ष में किये जाने से एक ही शीर्ष में विभिन्न तरह के प्रकरण दर्ज होने से मॉनिटरिंग में असुविधा होती है. साथ ही समय की अनुकूलता के अनुरूप नये शीर्ष भी जोड़े जाने आवश्यक हैं. अतः राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड दो क्रमांक-1 की कंडिका 1 के अन्तर्गत परिशिष्ट-1 में दिये गये विषय शीर्षों के अधीन नवीन शीर्षों को जोड़ा जा रहा है, जिसे इस परिपत्र में संलग्न कर परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है.

परिशिष्ट-1 में वर्णित नवीन शीर्षों में, प्रकरणों का दर्ज किया जाना, परिपत्र जारी होने के दिनांक से किया जायेगा. पूर्व में जिन शीर्षों में प्रकरण दर्ज हो गए थे वो उसी शीर्ष में दर्ज रहेंगे अर्थात् नवीन शीर्षों का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा.

मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

परिशिष्ट-1

**राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 02 कंडिका 01 परिशिष्ट एक में संशोधन**

1 राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 02 क्र. 01 परिशिष्ट 01 में मुख्य शीर्ष 1 "अ" मौजावार मामले मद 90 "ब" के पश्चात् निम्नानुसार शीर्ष अन्तःस्थापित किए जाएं अर्थात्:—

क्रमांक (1)	मामलों का विवरण (2)	अधिनियम (3)	धारा (4)	रखने की अवधि (5)
90-स	डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्रदान करने बाबत्	म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959	114क	अभिलेख के पुनर्विलोकन के बाद 12 वर्ष.
90-द	भू-धारक प्रमाण पत्र प्रदान करने बाबत्	तदैव	-	स्थाई
90-इ	शिकायत जांच/प्रतिवेदन	-	-	तीन वर्ष

2. राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 02 क्र. 01 परिशिष्ट 01 में मुख्य शीर्ष में मुख्य शीर्ष "ब" राजस्व सामान्य मामले में क्रमांक 128 के पश्चात् निम्नानुसार शीर्ष अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

128-(1)	फसल हानि के लिये आर्थिक सहायकता	आर.बी.सी. 6 (4)	-	तीन वर्ष
128-(2)	फसल पेड़ उन पर लगी फसलों/पान बरेजे आदि की हानि के लिये आर्थिक सहायता.	तदैव	-	तीन वर्ष
128-(3)	फसलों पर कीड प्रकोप से हुई हानि के लिए आर्थिक सहायता.	तदैव	-	तीन वर्ष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
128-(4)	राजस्व एवं वन ग्रामों में वन प्राणियों द्वारा फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता.	तदैव	-	तीन वर्ष
128-(5)	बाढ़ की स्थिति में कृषि योग्य भूमि पर रेत आने से सहायता.	तदैव	-	तीन वर्ष
128-(6)	पशु/पक्षी हानि के लिये	तदैव	-	तीन वर्ष
128-(7)	नष्ट हुये मकानों के लिये आर्थिक सहायता	तदैव	-	तीन वर्ष
128-(8)	कपड़ा/बर्तन एवं खाद्यान्न की क्षति के लिये आर्थिक सहायता.	तदैव	-	तीन वर्ष
128-(9)	मृत व्यक्ति के परिवार/निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता 1. नैसर्गिक विपत्तियों अर्थात् तूफान, भूकम्प, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने अथवा आग लगने से 2. सर्प गुहेरा या जहरीले जन्तु के कटने से 3. बस व अन्य अधिकृत वाहन नदी या जलाशय में गिरने से जल हानि 4. पानी में डूबने अथवा नाव दुर्घटना से जन हानि.	तदैव	-	तीन वर्ष
128-(10)	शारीरिक अंग हानि के लिये आर्थिक सहायता	तदैव	-	तीन वर्ष
128-(11)	घायल होने पर आर्थिक सहायता	तदैव	-	तीन वर्ष
128-(12)	गंभीर शारीरिक क्षति जिसमें व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहा हो.	तदैव	-	तीन वर्ष
128-(13)	लावारिस शव के अंतिम संस्कार के लिये सहायता.	तदैव	-	तीन वर्ष
128-(14)	मृत पशुओं के निवर्तन की व्यवस्था	तदैव	-	तीन वर्ष
128-(15)	कुम्हार के भट्टे में ईंट तथा खपरे बरबाद होने पर आर्थिक सहायता.	तदैव	-	तीन वर्ष
128-(16)	बुनकारों/हस्त शिल्पियों को दी जाने वाली सहायता.	तदैव	-	तीन वर्ष
128-(17)	अग्नि या बाढ़ से प्रभावित दुकानदारों को सहायता.	तदैव	-	तीन वर्ष
128-(18)	अस्थाई राहत केम्पों में निःशुल्क रहने एवं भोजन की व्यवस्था.	तदैव	-	तीन वर्ष
128-(19)	बाढ़ तथा तूफान से प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली सहायता.	तदैव	-	तीन वर्ष
128-(20)	कुंए या नलकूप नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता.	तदैव	-	तीन वर्ष
128-(21)	बैलगाड़ी या अन्य कृषि उपकरण नष्ट होने पर आर्थिक सहायता.	तदैव	-	तीन वर्ष
128-(22)	सड़क दुर्घटना में घायल/मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता.	-	-	-
128-(23)	मुख्य मंत्री सहायता कोष	-	-	-
128-(24)	मुख्य मंत्री कृषिक कल्याण सहायता के प्रकरण.	-	-	-

3. राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 02 क्र. 01 परिशिष्ट 01 में मुख्य शीर्ष में मुख्य शीर्ष "स" खातेवारी मामले, कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां एवं अन्य अधिनियम से संबंधित मामले शीर्षक अन्तःस्थापित करते हुए शीर्ष 144 के पश्चात् निम्नानुसार शीर्ष अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

145.	शस्त्र अनुज्ञप्ति लाइसेंस	शस्त्र अनुज्ञप्ति लाइसेंस	-	-
146.	मध्यप्रदेश वस्तु अधिनियम	मध्यप्रदेश वस्तु अधिनियम	-	-
147.	खाद्य सुरक्षा अधिनियम	खाद्य सुरक्षा अधिनियम	-	-
148.	माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण.	माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण.	-	-
149.	विशेष विवाह अधिनियम	विशेष विवाह अधिनियम	-	-
150.	हिन्दू मैरिज एक्ट	हिन्दू मैरिज एक्ट	-	-
151.	बी.पी.एल. में नाम जोड़ने बाबद	-	-	-
152.	बी.पी.एल. में नाम हटाने बाबद	-	-	-
153.	विकास एवं प्रौद्योगिकी विभाग अन्तर्गत जारी टावर/मार्ग-अधिकार नीति के तहत अनुज्ञप्तियां.	-	-	-

4. राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 02 क्र. 01 परिशिष्ट 01 में मुख्य शीर्ष में मुख्य शीर्ष "ड" प्रमाण-पत्र संबंधी मामले से संबंधित मामले शीर्षक अन्तःस्थापित करते हुए शीर्ष 153 के पश्चात् निम्नानुसार शीर्ष अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

154.	मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रदाय करने बाबत्	जन्म मृत्यु पंजीयन अधिनियम	-	तीन वर्ष
154-(1)	जन्म प्रमाण-पत्र प्रदान करने बाबत्	जन्म मृत्यु पंजीयन अधिनियम	-	तीन वर्ष
154-(2)	आय प्रमाण-पत्र	-	-	-
154-(3)	मूल निवासी प्रमाण-पत्र	-	-	-
154-(4)	जाति प्रमाण-पत्र	-	-	-
154-(5)	अस्वच्छ धंधा प्रमाण-पत्र प्रदान करने बाबत्	-	-	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2019

क्रमांक एफ. 12-2-2014-सात-2.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 में, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र में, उक्त अधिनियम की धारा 112 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, दिनांक 4 अक्टूबर, 2019 को पूर्व में ही प्रकाशित किये जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 21 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाये, अर्थात् :-

“22. ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में भूमि की सीमाएं- अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के अधीन भूमि के विस्तार की वे सीमाएं, जिससे अधिक भूमि के लिए प्राइवेट बातचीत के माध्यम से, प्राइवेट कम्पनी द्वारा कय के मामले में अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उपबंध लागू होंगे, नगरीय क्षेत्रों में 50 हैक्टर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 हैक्टर होगी।”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुजीबुरहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2019

क्रमांक एफ-12-2-2014-2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-12-2-2014-सा-2, दिनांक 24 अक्टूबर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुजीबुरहमान खान, उपसचिव.

Bhopal, the 24th October 2019

No. F-2-2-2014-VII-Sec.2.- In exercise of the powers conferred by section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2015, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 4<sup>th</sup> October, 2019 as required by section 112 of the said Act, namely :-

#### AMENDMENT

In the said rules, after rule 21, the following rules shall be added, namely :-

“22. Limits of Land in rural areas and urban areas.- The limits of land under clause (a) of sub-section (3) of section 2 of the Act beyond which provisions of rehabilitation and resettlements under the Act apply, in case of purchase by a private company through private negotiation, shall be 50 hectares in urban areas and 1000 hectares in rural areas.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

## राज्य शासन के आदेश

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 28 सितम्बर 2019

क्र. 180.—जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम किशनपुरा तहसील पिछोर, जिला-शिवपुरी में कुल 4.25 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

भूमि का विवरण			अनुसूची		धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	पिछोर	किशनपुरा	21	0.07		लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य.
			19	0.33		
			116	0.41		
			173	0.01		
			117	0.02		
			119	0.20		
			120	0.02		
			121	0.20		
			123	0.12		
			124	0.19		
			125	0.02		
			127	0.11		
			128	0.12		
			129	0.05		
			166	0.14		
			133	0.03		
			134	0.02		
			135	0.16		
			136	0.07		
			137	0.02		
			155	0.35		
			159	0.01		
			156	0.15		
			152	0.09		
			157	0.06		
			6/1	0.01		
			6/2	0.20		
			7/1	0.37		
			9/4	0.14		
			9/6	0.18		
			9/7	0.32		
			9/5	0.06		
			योग . .	4.25		

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) और धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे।

संलग्नक:—यथोक्त

स्थान:—

तारीख

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुग्रहा पी. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
रीवा, दिनांक 26 सितम्बर 2019

पत्र क्र. 962-प्रका.-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची में खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	बेलाहा-742	1.100	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा, (म. प्र.).	नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अंतर्गत स्थिति भूमि एवं संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा कार्यालय में किया जा सकता है।



पत्र क्र. 964-प्रका.-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची में खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	खर्वा-170	0.025	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा, (म. प्र.).	नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अंतर्गत स्थिति भूमि एवं संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 966-प्रका.-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची में खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	खर्वा-190	0.275	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा, (म. प्र.).	नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अंतर्गत स्थिति भूमि एवं संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी, भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर  
जिला-सतना मध्यप्रदेश

रामनगर, दिनांक 9 अक्टूबर 2019

क्र. 553-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डकट (भूमि की उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक, 378 दिनांक 29 अगस्त 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर

सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम-टटेहरा टोला, तहसील-रामनगर, जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02 अगस्त 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

### अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्राम-टटेहरा टोला, पटवारी हल्का-05	43/2/ग	0.020	0.003
2	कुदरी कला, रा.नि.म.-बड़वार,	42/1/क/1	0.153	0.005
3	तहसील-रामनगर.	42/1/क/3	0.149	0.003
4		42/1/क/4	0.152	0.008
5		42/1/ख	1.081	0.026
6		42/2	0.833	0.014
7		20	0.089	0.007
8		21	1.959	0.006
9		27/2	0.789	0.013
10		26/1	0.037	0.005
11		25/1	0.469	0.018
12		25/2	0.469	0.002
13		28/1	0.065	0.003
14		29/1	0.947	0.016
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग:		<u>7.212</u>	<u>0.129</u>
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग :		0.000	0.000
	कुल . .		<u>7.212</u>	<u>0.129</u>

क्र. 554-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक, 387 दिनांक 29 अगस्त 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम-मैर टोला, तहसील-रामनगर, जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02-08-2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

### अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्राम-मैरटोला, पटवारी हल्का-05	63/3	0.061	0.004
2	कुदरी कला, रा.नि.म.-बड़वार,	62/3	1.315	0.019
3	तहसील-रामनगर.	64/1/क/3	0.219	0.001
4		64/1/ग	0.020	0.003
5		68/2/ग	0.101	0.006
6		65/1/क	0.113	0.003
7		65/3	0.514	0.028
8		66	1.028	0.032
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग:		<u>3.371</u>	<u>0.096</u>
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग :		<u>0.000</u>	<u>0.000</u>
	योग . .		<u>3.371</u>	<u>0.096</u>

क्र. 555-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक, 384 दिनांक 29 अगस्त 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम-बड़ाइटमा, तहसील-रामनगर, जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02-08-2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

### अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्राम-बड़ाइटमा, पटवारी हल्का-01	674/3	0.150	0.005
2	बड़ाइटमा, रा.नि.म.-बड़वार,	856	0.365	0.015
3	तहसील-रामनगर.	855	1.453	0.001
4		675/3	0.179	0.046
5		679/1/ग	0.228	0.001
6		855/921/1	0.354	0.009
7		683/1	0.291	0.007

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8		683/2	0.292	0.006
9		684	0.652	0.006
10		854/1	1.052	0.046
11		851/1	0.202	0.006
12		851/4	0.607	0.020
13		759/2/ख	0.152	0.006
14		850	1.267	0.009
15		849	0.607	0.005
16		767/1	0.312	0.016
17		767/2	0.312	0.016
18		766	0.299	0.017
19		765	0.397	0.001
20		770	0.073	0.002
21		769/2	0.012	0.004
22		771	0.049	0.003
23		772	0.579	0.020
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग:			9.884	0.267
			673	1.218
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग :			1.218	0.006
अ + ब का योग . .			11.102	0.273

क्र. 556-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक, 388 दिनांक 29 अगस्त 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम-खैरहनी, तहसील-रामनगर, जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02-08-2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

#### अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्राम-खैरहनी, पटवारी हल्का-कुदरी कला,	165/1	1.089	0.075
2	रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर.	165/2	0.121	
3		161/1	1.384	0.035
4		161/2	1.982	
5		138	0.890	0.024
6		94/1	0.488	
7		94/1/1/ख	0.022	0.21
8		94/2/2/क	0.008	
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग:			5.072	0.155

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		162	3.982	0.093
2		163	0.283	0.007
3		135	0.959	0.029
4		93	3.881	0.004
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग :			<u>9.105</u>	<u>0.133</u>
अ + ब का योग . . .			<u>14.177</u>	<u>0.288</u>

क्र. 557-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक, 393 दिनांक 29-08-2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम-चाभर, तहसील-रामनगर, जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02-08-2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

#### अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्राम-चाभर, पटवारी हल्का-17 दधीच टोला, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर.	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	0.000	0.000
2		178	32.404	0.066
3		117	0.886	0.030
		116	0.105	0.004
		114	0.348	0.021
4		113	0.162	0.005
5		111	0.765	0.050
7		112	0.008	0.002
8		120	0.049	0.013
9		119	0.583	0.011
10		121	0.178	0.015
11		9	0.817	0.044
12		122	0.466	0.002
13		8	0.668	0.024
14		4/223	0.603	0.018
15		4	7.827	0.091
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग :			<u>45.869</u>	<u>0.396</u>
अ + ब का योग . . .			<u>45.869</u>	<u>0.396</u>

क्र. 558-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक, 393 दिनांक 29-08-2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम-दधीच टोला, तहसील-रामनगर, जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02-08-2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

### अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्राम-दधीच टोला, पटवारी हल्का-17	292/2	0.323	0.025
2	दधीच टोला, रा.नि.म.-बड़वार,	293	0.142	0.016
3	तहसील-रामनगर.	286	0.656	0.021
4		285/324/2	0.405	0.020
5		285/1/क	2.527	0.123
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग :		4.053	0.205
1		322	6.187	0.025
2		320	4.896	0.116
3		317	4.047	0.108
4		316/1	1.154	0.013
5		294	0.328	0.015
6		295	0.356	0.042
7		288	0.077	0.004
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .		17.045	0.323
	अ +ब का योग . . .		21.098	0.528

क्र. 559-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक, 382 दिनांक 29-08-2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम-दुअरिया, तहसील-रामनगर, जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02-08-2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

### अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्राम-दुअरिया, पटवारी हल्का-05	14/1	0.809	0.007
2	कुदरी कला, रा.नि.म.-बडवार,	13	0.328	0.013
3	तहसील-रामनगर.	258	0.210	0.020
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग . .		1.347	0.040
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . .		0.000	0.000
	अ + ब का योग . .		3.815	0.040

क्र. 560-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक, 397 दिनांक 29-08-2019 द्वारा, राज्य सरकार ने रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम-हरई, तहसील-रामनगर, जिला-सतना के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02-08-2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

### अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्राम-हरई, पटवारी हल्का-06	725/747/1	0.158	0.015
2	हरई, रा.नि.म.-बडवार,	725/747/2	0.255	0.010
3	तहसील-रामनगर.	725/1/क	0.574	0.040
4		725/1/ख	0.283	0.020
5		725/746/1	0.045	0.001
6		716/1	0.154	0.019
7		717/1	0.032	0.004
8		713	0.109	0.006
9		719/1	0.148	0.004
10		719/2	0.148	0.010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11		719/3	0.148	0.011
12		720/1	0.099	0.001
13		711/1	0.175	0.001
14		711/3	0.175	0.012
15		697/2	0.348	0.002
16		698/1/ख	0.357	0.009
17		698/1/ग	0.392	0.010
18		699/1	0.296	0.017
19		622/736	0.243	0.004
20		594/2	0.437	0.008
21		535/1/ख	0.065	0.003
22		534/1	0.036	0.006
23		532	0.154	0.013
24		531/1/ग	0.023	0.004
25		530/1/ग	0.203	0.030
26		473	0.247	0.004
27		218	1.659	0.026
28		219	1.068	0.021
29		220	0.032	0.004
30		221	0.186	0.004
31		216/1	0.284	0.011
32		213/1	0.724	0.017
33		211/3	0.008	0.002
34		212/3	0.033	0.005
35		40/1/क	0.077	0.004
36		39	0.049	0.005
37		38/1/ख/1/क	0.638	0.019
38		38/2	0.328	0.003
39		38/3	0.854	0.025
40		37/1	0.324	0.007
41		31	0.514	0.011
42		32/2	1.145	0.037
43		33/1/घ	0.165	0.003
44		715/1	0.190	0.026
45		714	0.858	0.027
46		710	0.587	0.020
47		701	0.267	0.018
48		702	0.162	0.011
49		617/1/ख	0.151	0.002
50		617/2	0.239	0.016
51		616/1	0.210	0.018



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
52		616/2	0.425	0.006
53		615	0.065	0.003
54		613/1/ख	0.106	0.002
55		613/2	0.198	0.013
56		602/1/क	0.421	0.024
57		602/2	0.510	0.020
58		614/1/क	0.016	0.009
59		606	0.028	0.002
60		591/1	0.073	0.005
61		588/1	0.249	0.011
62		588/2	0.296	0.010
63		588/3	0.296	0.006
64		573/1	0.110	0.017
65		573/2	0.109	0.002
66		574/1/क/1/1	0.112	0.011
67		574/1/क/1/ख	0.108	0.001
68		574/1/क/2/क	0.108	0.001
69		574/1/ख	0.546	0.013
70		562	0.356	0.020
71		446/1	0.049	0.002
72		445/1	0.405	0.009
73		445/2	0.134	0.010
74		444/2	0.012	0.003
75		317	0.632	0.020
76		319	0.150	0.003
77		443/2	0.186	0.020
78		432	0.109	0.007
79		367	0.291	0.015
80		307/1/क	0.042	
81		307/1/ख	0.052	0.001
82		307/2	0.214	
83		318	0.445	0.010
84		327	0.417	0.015
85		324	0.028	0.001
86		325	0.482	0.012
87		602/735/1/ख	0.154	0.007
88		590/1	0.020	0.001
89		590/2	0.028	0.004
90		590/3	0.049	0.019
91		569/1/ग	1.214	0.001
92		734	0.202	0.007

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
93		431	0.016	0.003
94		430	0.202	0.013
95		429	0.158	0.013
96		368	0.206	0.009
97		305/1	0.053	0.010
98		305/2	0.008	0.002
99		304/1	0.030	0.009
100		310	0.109	0.012
101		323	0.012	0.003
102		322/1	0.008	
103		322/2/क	0.004	0.002
104		322/3	0.008	
105		322/4/ख	0.004	
106		322/5	0.008	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग .	<u>.26.542</u>	<u>1.041</u>	
1		733	1.578	0.030
2		622/1	0.539	
3		622/2/क	0.020	
4		622/2/ख	0.020	
5		622/2/ग	0.020	0.023
6		622/2/घ	0.020	
7		622/2/ङ	0.020	
8		623/1	0.332	
9		623/2/क	0.052	
10		623/2/ख	0.049	
11		623/2/ग	0.052	0.016
12		623/2/घ	0.053	
13		623/2/ङ	0.053	
14		597	0.644	0.014
15		596	0.421	0.016
16		595	0.364	0.010
17		592	8.377	0.050
18		61	0.263	0.007
19		57	0.049	0.005
20		58	0.057	0.004
21		60	0.150	0.009
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>13.133</u>	<u>13.133</u>	<u>0.184</u>
	अ + ब का योग . .	<u>39.675</u>	<u>39.675</u>	<u>1.225</u>

जे. एल. तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी.